



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

(Phone No. 07152 - 232943, Fax No. 07152 - 230903) (Website : www.hindivishwa.org)

Tender No. MGAHV/25/PVB/2025/01

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक-वार्ता पत्रिका के मुद्रण हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत मुद्रकों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
पुस्तक-वार्ता (त्रैमासिक पत्रिका) :- अंक 91-98 (जनवरी, 2022-दिसंबर, 2023)

1. मुद्रण संख्या : 500
2. साइज : 21x28 सेमी
3. कुल पृष्ठ : 218 (श्वेत-श्याम) +4 (रंगीन कवर पृष्ठ)
4. आंतरिक पृष्ठ : 80 जीएसएम श्वेत-श्याम, नेचुरल शेड पेपर (स्टार)
5. मुख्य पृष्ठ : बहुरंगी आर्ट पेपर-170 जीएसएम (मैट फिनिश)
6. बाइंडिंग : परफेक्ट बाइंडिंग

पुस्तक-वार्ता (त्रैमासिक पत्रिका) :- अंक 99-102 (जनवरी-दिसंबर, 2024)

1. मुद्रण संख्या : 500
2. साइज : 21x28 सेमी
3. कुल पृष्ठ : 110 (श्वेत-श्याम) +4 (रंगीन कवर पृष्ठ)
4. आंतरिक पृष्ठ : 80 जीएसएम श्वेत-श्याम, नेचुरल शेड पेपर (स्टार)
5. मुख्य पृष्ठ : बहुरंगी आर्ट पेपर-170 जीएसएम (मैट फिनिश)
6. बाइंडिंग : परफेक्ट बाइंडिंग

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 30 जनवरी, 2025 सायं 4:00 बजे तक

नियम एवं शर्तें :-

1. टैक्स- सभी प्रकार के टैक्स का निविदा में उल्लेख होना अनिवार्य है।
2. जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।
3. प्रेस पंजीकरण अनिवार्य। प्रिंटिंग प्रेस औद्योगिक परिसर में होना आवश्यक है।
4. मुद्रित पत्रिका सी.डी. के साथ 'प्रकाशन विभाग, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा' को एक सप्ताह के अंदर भेजना होगा।
कागज के प्रारूप के साथ मुहरबंद निविदा कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, के पास दिनांक 30 जनवरी, 2025 सायं 4:00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। इसके पश्चात् निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। लिफाफे के ऊपर 'पत्रिकाओं के लिए निविदा' लिखा होना अनिवार्य है। निविदा केवल स्पीड-पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर से ही स्वीकार की जायेंगी। निविदा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। निविदा में पत्रिका की आवश्यकतानुसार प्रत्येक बिंदु का उल्लेख होना अनिवार्य है; अधूरी निविदाओं को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

दिनांक : 16 जनवरी, 2025


कुलसचिव